स्वयं सहायता समूह: अवधारणा, गठन, बैंक लिंकेज

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-20 सदस्यों का एक स्वैछिक समूह है जो-:

- नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं|
- व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं|
- सामूहिक निर्णय लेते हैं|
- सामूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं|
- समूह द्वारा तय किये गए नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं|

स्वयं सहायता समूह के सन्दर्भ में मुख्य रूप से निम्न मुद्दों पर विशेष जोर दिया, जैसे-

- सामुदायिक क्रियाशील समूह
- महिलाओं /समुदाय को संगठित करना

भारत में स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की उत्पत्ति एवं अवधारणा :
अनौपचारिक ऋण प्रणाली के लचीलेपन, सुग्रहिता, अनुक्रियाशीलता जैसे गुणों को औपचारिक ऋण संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं और वित्तीय संसाधनों के साथ संयोजित करने और ऋण वितरण प्रणाली में सकरात्मक नवीनतायें लाने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्य बैंकों से जोड़ने के लये पायलट परियोजना शुरू की थी| यह जुडाव इस विचार से भी था कि औपचारिक और अनौपचारिक ऋण प्रणाली के अच्छे गुणों को समायोजित कर सके| स्वयं सहायता समूह में औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण व्यवस्था के गुणों का समायोजन:

अनौपचारिक(महाजन, पड़ोसी)		**औपचारिक (बैंक)**	
दोष	**गुण**	**दोष**	**गुण**
ज्यादा ब्याज	स्थानीय एवं परिचित	छोटा कर्ज	शोषण नहीं
बंधक	समय और ऋण	ज्यादा खर्च और लम्बी प्रक्रिया	ब्याज कम
खुशामद	कर्ज लेने एवं देने वाले के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क एंव संलग्नता	सोच है कि गरीब कर्ज लायक नहीं है|	खुशामद नहीं|
लोभ-लालच का प्रयोग		व्यक्ति सम्पर्क का आभाव	सशक्तिकरण (अपनी इच्छा निर्णय शक्ति पर)
अनिश्चित भुगतान तरीका	दुबारा कर्ज	कर्ज वापसी में वातावरण की कमी|	
ससाधन पर नियंत्रण खोने का डर	ऋण पाने का विश्वास	उत्पादन के लिए मात्र कर्ज (सिमित उद्देश्य)	
	पर्याप्त कर्ज, कम कागजात, आसान और शीघ्र	जमानत की जरुरत	

एस० एच० जी० की विशेषताएं/गुण :
स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक में मात्र बचत खाता खोलना लिंकेज नहीं माना गया है, यह एक परिचय मात्र है| लिंकेज का पूर्ण स्वरुप हैं बैंक से न केवल कर्ज का लेन-देन हो, बल्कि दोनों के बीच व्यवहारिक सम्बन्ध स्थापित हो| स्वयं सहायता समूह बैंक लिकेंज कार्यक्रम पर भारतीय रिजर्व बैंक के हासिल दिशा निदेशों की मुख्य विशेताएँ :

बैंक लिंकेज के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
1) गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरक ऋण नीतियों का विकास करना|
2) बैंकों एंव ग्रामीणों गरीब जनता के बीच परस्पर विश्वास/भरोसा पैदा करना|
3) ग्रामीण गरीब जनता में बचत व ऋण दोनों तरह के बैंकिंग कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना|

स्वयं सहायता समूह बैंक लिकेंज कार्यक्रम से लाभ:
I बैंक के लिए:

1. ऋण चक्र में मूल्यांकन, निर्गत, निरीक्षण एंव भुगतान प्रक्रिया में होने वाली लागत में कमी|
2. बड़े स्तर पर छोटी बचत का जमागातिमान होना|
3. सुनिश्चित एवं समय पर भुगतान होने के कर्ण कोष का तेजी से पुनः चक्रीय होना |
4. गरीब वर्ग को समाहित करने के साथ-साथ व्यापर में विस्तार करने का अवसर|
5. दूरदर्शिता पूर्ण ग्राहक आधारित भविष्य तैयार करना|

II स्वयं सहायता समूह के लिए:

1. गरीबों के बीच बचत आदत विकास करने का माध्यम
2. वृहत पैमाने पर संसाधन की उपलब्धता|
3. एक स्थान से बेहतर तकनीकी एवं बौद्धिक ज्ञान वर्द्धन की सुविधा |
4. अपने क्षेत्र में ही आपातकालीन, उपयोग एवं उत्पादन कार्य हेतु कर्ज की उपलब्धता|
5. विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना|
6. स्वंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना|
7. महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण|

लिंकेज कार्यक्रम में बैंक की भूमिका:

1. स्वयं सहायता समूह को बचत खाता संचालन की सुविधा देना |
2. समूह को ऋण देने में लचीलापन रुख रखना|
3. ऋण के समय जमानत और मार्जिन राशि पर छुट देना|
4. गैर सरकारी संस्था एवं समूह के साथ सम्बन्ध बनाना और समूह की स्वस्थ संचालन/मधुर लिंकेज पर ध्यान देना|
5. मार्गदर्शन एंव लगातार सम्बन्ध रखने की प्रक्रिया के द्वारा ऋण लेन-देन कार्य-कलाप के बारे में गैर सरकारी/संस्था/समूह को विश्वास में लाना|
6. समूह को बैंक के योग्य योजनाओं/कार्यकलापों का विवरण उपलब्ध कराना|
7. यदि अपने क्षेत्र में गैर सरकारी संस्था कार्य न करती हो तो बैंक को समूह सहायता प्रोत्साहन संस्थान के रूप में कार्य करना|